न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारीः- **अरूण कुमार अग्रवाल-I**

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक (जमानत प्रार्थना पत्र)संख्याः– **545/2021(CIS No. 211/2021)**

1 विवेक राहड़ पु. इन्द्रलाल, उम्र– 38 वर्ष, निवासी– सी 104-105 इन्द्रानगर झुंझुनूं, पुलिस थाना– कोतवाली झुंझुनूं, जिला– झुंझुनूं (राज०)

2 अमित कुमार पुत्र ओमप्रकाश, उम्र– 34 वर्ष, निवासी– सी 1 क 285 हाउसिंग बोर्ड झुंझुनूं, पुलिस थाना– कोतवाली झुंझुनूं, जिला– झुंझुनूं (राज०)

... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **.....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या 521/2020 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं
अन्तर्गत धारा 147,149,457,427,506 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित-

1 श्री दीपेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण
2 श्री भारत भूषण शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

आदेश **दिनांकः- 08.10.2021**

1. यह जमानत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विवेक राहड़ एवं अमित कुमार की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 05.10.2021 को धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.12.2020 को परिवादी मूलचंद ने थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका मकान बाकरा रोड़ पर बना हुआ जिसमें दिनांक 02.12.2020 को रात्रि करीब 11.00 बजे उसके मकान पर विकास सीगड़ व सुनील जाँगिड़ व 5-7 अन्य तीन–चार गाड़ियों में भरकर आये तथा घर में घुस गये। उसके घर में उसके पुत्र संदीप को मारने आये थे जो घर पर नहीं मिला। उसके बाद उक्त लोगों ने उसके घर में घुसकर पड़े सामान को बुरे तरीके से तोड़ दिया तथा मकान में फर्नीचर, किचन में सामान व बाथरूम में वॉशबेसिन, टॉयलेट सीट व अन्य सामान तोड़ दिया तथा उसके लड़के को जान से मारने की धमकी दी। उक्त लोग रात्रि को उसके घर प्लान बनाकर घुसे तथा उसका घर का सारा सामान तोड़ दिया जिससे उसका पाँच–सात लाख का नुकसान हुआ है इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 521/2020 अपराध अंतर्गत धारा 143,

427, 458, 506 भारतीय दंड संहिता दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147, 149, 457, 427, 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त विवेक राहड़ के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक अभिलेख नहीं होना बताया गया है।

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त अमित कुमार के विरूद्ध वर्तमान के अतिरिक्त निम्न प्रकरण भी पंजीबद्ध होना बताया गया है–

क्र.सं.	मु०नं०	धारा	थाना	विवरण
1	19/2005	314,323 भा०द०सं०	--	निर्णित
2	52/2013	341,323 भा०द०सं०	--	निर्णित

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी व पूछताछ शेष नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय उच्च न्यायालय/इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है प्रार्थीगण का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे। उपरोक्त का विद्वान लोक अभियोजक द्वारा कड़ा किया गया।

6. उभयपक्ष को सुना गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. समस्त तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन करने के उपरान्त इस प्रकरण में गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 147,149,427,457,506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में विचारण लम्बित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिस. बेल अप्लीकेशन नंबर 861/2021 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 से यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त की जमानत लिए जाने पर उसी प्रकरण में दूसरे अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते

समय यदि कोई विशेष कारण नहीं हो तो पूर्व जमानत आदेश को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जावे। उक्त आदेश का निम्न पैरा सुसंगत हैः-

The approach of the learned Additional Sessions Judge No. 1, Barmer in denying bail to the petitioners even though similarly situated accused has been granted bail in the very same case is deprecated as such an approach not only tantamounts to a total disregard of this Court's order but also increases this Court's dockets flooding it with unwarranted bail applications and also prolongs the custody of the accussed without any justification. It is henceforth expected from all the Subordinate Courts in the State of Rajasthan that where similarly situated co-accused has been granted bail by this Court and the application of other accused comes up for consideration, this Court's order/s shall not only be referred to while deciding such bail application/s but shall be followed unless exceptional/distinguishable features exist.

8. सह अभियुक्तगण का जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, वतर्मान प्रार्थीगण का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्य–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. फलतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विवेक राहड़ एवं अमित कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं की संतुष्टिप्रद पचास–पचास हजार रूपए की दो मोतबिर जमानतें एवं एक लाख रुपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार अग्रवाल-I)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

10. आदेश आज दिनांक **08.10.2021** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-I)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)